08/02/16 मिसल, प्रार्थी लगभग मु. सुरेन्द्र खाण्डल के अधिवक्ता तलबी पेश होने पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी वकील के आवेदन पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है इसलिये दावा चलाना नहीं चाहते है वापिस करवाना चाहते है। वकील की पहचान, वकील की सुरेन्द्रपाल चौधरी द्वारा की गई। अतः मु. वकील के निवेदन पर वाद वकील बिना किसी खर्चे के अलग दिया जाता है। प्रतिवादी को सूचना भेजना व्यर्थ है।

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ

Scanned with CamScanner